न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0–31/20–21

चुलिया पहाड़िन बनाम् रैयान मौजा–देवडाँड़

–: आदेश :–

29.03.2022

वर्तमान प्रधान नियुक्ति की प्रकिया आवेदिका चुलिया पहाड़िन, पति–स्व0 दुखिया पहाड़िया, सा0–देवडाँड, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–देवडाँड नं0–63 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–101/रा0, दिनांक–28.01.2021 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–देवडाँड नं0–63 प्रधानी मौजा है। आवेदिका चुलिया पहाड़िन, मौजा– देवडाँड नं0–63 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–06के जमाबंदी रैयत चतुर पहाड़िया के पारपोता है। उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान स्व0 दुखिया पहाड़िया थे, जिनकी मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी है। वर्तमान में मौजा–देवडाँड नं0–63 में प्रधानी पद रिक्त है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत आवेदिका चुलिया पहाड़िन को मौजा–देवडाँड नं0–63 का प्रधान नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदिका के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका चुलिया पहाड़िन, पति–स्व0 दुखिया पहाड़िया, सा0–देवडाँड, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–देवडाँड नं0–63 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

29/03/22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

29/03/22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.12 13:28:56 +05:30
Location: 192.168.8.115

Scanned with OKEN Scanner